अनुसूची–१४ –फारम सं० ५६२

आदेश–पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, १९४१ का नियम १२९)

न्यायालय जिला दण्डाधिकारी, सारण, छपरा।

भूहदबंदी वाद सं0– 03/2006
शिव सागर महतो
बनाम
अमरजीत सिंह

आदेश का क्रम–संख्या और तारीख।	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर।	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में पेशी, तारीख–सहित
06.10.2015	यह वाद शिव सागर महतो पिता स्व0 ईश्वर चन्द्र महतो ग्राम–साजनपुर मटिहान थाना–दरियापुर जिला–सारण के द्वारा माननीय राजस्व पर्षद बिहार, पटना के द्वारा वाद सं0 11/2001 में पारित आदेश दिनांक 21.08.2002 की प्रति संलग्न कर आवश्यक कार्रवाई हेतु दाखिल किया गया है। उक्त आदेश अपर समाहर्ता, सारण,छपरा के द्वारा भू हदबंदी बाद सं0 23/98 चन्द्रिका महतो एवं अन्य बनाम शिव सागर महतो एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 21.12.2000 से संबंधित है। माननीय राजस्व पर्षद पटना के द्वारा निम्न न्यायालय के आदेश को निरस्त करते हुए **समाहर्ता सारण को इस निर्देश के साथ रिमांड किया गया है कि वे दोनों पक्षों की उपस्थिति में स्वयं स्थानीय जॉच करे, सुनवाई करे एवं तद्पश्चात एक विधि सम्मत आदेश पारित करे।** उक्त वाद का सक्षिप्त इतिहास यह है कि चन्द्रिका महतो वल्द सुख राम महतो एवं अन्य के द्वारा भू हदबंदी अधिनियम की धारा 16(3) के अन्तर्गत वाद सं0 05/97–98 में दिनांक 17.06.98 को भूमि सुधार उप समाहर्ता, सोनपुर के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध अपर समाहर्ता सारण के न्यायालय में अपील दाखिल किया गया। अपर समाहर्ता, सारण के द्वारा दिनांक 13.12.2000 को उभय पक्षों एवं ग्राम मटिहान के अन्य ग्रामीणों की उपस्थिति में प्रश्नगत भुमि का स्थल निरीक्षण किया गया। स्थल निरीक्षण के उपरांत दिनांक 21.12.2000 को आदेश पारित किया गया जिसके विरूद्ध माननीय राजस्व पर्षद पटना मे रिविजन वाद सं011/2001 दाखिल किया गया। उक्त वाद में उभय पक्ष काफी समय से अनुपस्थित है। इस न्यायालय के ज्ञापांक 447 दिनांक 06.07.15 के द्वारा दोनों पक्षों को **अन्तिम नोटिस** निर्गत किया गया। **नोटिस का तामिला प्राप्त है।** इसके बाद	

भी दोनों पक्षो में से कोई भी उपस्थित नहीं हुए।

माननीय राजस्व पर्षद बिहार, पटना के द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.08.2002 में निहित निर्देश के अनुपालन में दिनांक 03.10.2015 को अधोहस्ताक्षरी के द्वारा संबंधित अंचल अधिकारी, अंचल निरीक्षक के साथ स्थानीय लोगों की उपस्थिति में मौजा मटिहान थाना सं0 328 खेसरा सं0 1288 की जॉच की गई। प्रश्नगत भू खंड ग्रामीण सड़क के दक्षिण अवस्थित है। प्रश्नगत भू खंड पर करकट का शेड और चापाकल है जो बॉस से घेरा हुआ है। प्रश्नगत भू खंड के दक्षिण में खाली भूमि के बाद शिव सागर महतो का मकान है। विवादित भूमि के पूरब कुछ खाली भूमि के बाद शिव सागर महतो के एक पुत्र का आवासीय मकान हैं। विवादित स्थल पर सड़क के उतर मकई लगा हुआ है। मकई लगे हुए खेत के पूरब एवं पश्चिम में आवासीय मकान हैं। **इस तरह विवादित भूमि की प्रकृति को आवासीय ही माना जाएगा।**

उभय पक्ष काफी समय से अनुपस्थित है। अन्तिम नोटिस प्राप्त करने के बावजूद, इस न्यायालय में कई तिथियों को लगातार अनुपस्थित रहने तथा किसी भी प्रकार की सूचना नहीं देने का स्पष्ट अर्थ है कि **उनके द्वारा उक्त वाद में अभिरूचि नहीं ली जा रही है। इसके अतिरिक्त, विवादित भूमि की प्रकृति आवासीय हो गयी है। ऐसी स्थिति में, Pre-emption का मुकदमा पोषणीय नहीं है। अतः उपरोक्त रिविजन वाद को अस्वीकृत किया जाता है।**

वाद निष्पादित।

लेखापित एवं संशोधित

06/10/15

जिला दण्डाधिकारी,
सारण, छपरा।

06/10/15

जिला दण्डाधिकारी,
सारण, छपरा।

ज्ञापांक 942 /न्या0, दिनांक 12.10.2015

प्रतिलिपिः- अपर समाहर्ता, सारण छपरा को उनके पत्रांक 101 दिनांक 06.09.2008. के द्वारा प्रेषित अभिलेख (भू हदबंदी अपील सं0 23/98) मूल में संलग्न कर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः-भूमि सुधार उप समाहर्ता, सोनपुर को उनके पत्रांक 480 दिनांक 18.08.2001 के द्वारा माननीय राजस्व पर्षद, बिहार पटना को प्रेषित अभिलेख (भू हदबंदी वाद सं0 05/97-98) मूल में संलग्न कर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः- जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी,एन0ई0सी0,सारण, छपरा को उक्त आदेश इस जिले के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

वरीय उप समाहर्ता
जिला विधि शाखा
सारण,छपरा।

12/10/15